

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025

शिविर- 27/06/2025

प्रकरण संख्या:- 53/2025

दिनांक:- 25/06/2025

संबल

श्री मांगीलाल पुत्र हीरालाल  
सुजरी नि. 210/मानपुर, बलरिया

सरकार जरिधे तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पुत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का 210/मानपुर भू अ. नि. 110/डेरा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम 210/डेरा प. 40 ह. 210/मानपुर की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 79 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	बैंक के नाम में हाथुड़ी	स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर 2008, मानपुर 211291 चौथ का बरवाड़ा	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया 211291 चौथ का बरवाड़ा

प्रतिष्ठापी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री मांगीलाल पुत्र हीरालाल सुजरी नि. 210/मानपुर, बलरिया
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (सं. मां)